तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.116/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
14.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (देवाराम पुत्र खेताराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मालाराम वालाजी, तहसील रोड छावनी, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (रमेश कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ललित डिस्ट्रीब्यूटर्स, धान मण्डी, मेन मार्केट, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–3 (महेन्द्र कुमार जैन, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म वर्धमान एन्टरप्राईजेज, बी– 100 कृषि उपज मण्डी, सीकर रोड, कुकरखेडा, जयपुर) तथा प्रतिवादी संख्या–4 (राजूभाई राठौड, नॉमिनी, फर्म SDP Industries Pvt.Ltd., Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B, Behind Fire station, Riganwada, DAMAN-396210) अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.2022 को फर्म मालाराम वालाजी, तहसील रोड छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी संख्या–1 (देवाराम) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1922 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1971/ Act/2022/1978 दिनांक 22.11.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में सुनवाई तिथि 01.12.2023 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ताग के अनुरोध पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की दिनांक 01.12.2023 को ही बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरा जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विनियम 2011 के तहत खाद्य पदार्थ घी के पूरे मानक मौजूद है, जो अमानक [illegible] में नही आता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया [illegible] सब स्टैण्डर्ड का बनता .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.116/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	ही नही है। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित पैरामीटर बिन्दु संख्या 1 से 9 तक के मानक अधिनियम अनुसार सही पाये गये है, जांच रिपोर्ट के पैरामीटर बिन्दु संख्या 10 के तहत फोरेन फेट पैरामीटर में फोरेन फेट अंकित की हुई है जो कि अभी तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत थी की जांच निर्धारित पैरामीटर में शामिल नही है तब तक खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट मान्य नही हो सकती है। जांच रिपोर्ट में फोरेन फेट किस किस्म का है का उल्लेख नही किया हुआ है एवं फोरेन फेट के टेस्ट के लिये जिस मैथ्ड (सिद्धान्त) काम में लिया गया है वह अधिनियम में लागू नही था तथा रिपोर्ट अधिनियमानुसार प्रपत्र प्रारुप में नही है। अभिहित अधिकारी ने भी माइन्ड एप्लाई किये बिना ही अभियोजन स्वीकृति जारी की है, अभिहित अधिकारी ने निष्कर्ष नही दिया है कि नमूनें में क्या कमी पाई गई है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त खाद्य पदार्थ घी को क्रय निर्माता फर्म से बिल वारंटी के तहत किया गया था तथा निर्माता फर्म द्वारा विक्रय किये गये माल को सील अवस्था में ही रखा व विक्रय किया गया था तथा नमूना सील्ड पैक्ड अवस्था में लिया गया था जिसमें समस्त जिम्मेदारी निर्माता फर्म की होती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80आ(2)(घ)(i) के तहत बिल वारंटी का लाभ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को मिलना न्यायोचित है। निर्माता फर्म वैध तरीके से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार लाईसेन्स लेकर तथा गुणवत्ता का माल पैक कर खाद्य पदार्थ का व्यापार करती है तथा किसी भी अनुचित तरीके से कोई खाद्य कारोबारकर्ता का संचालन नही करती है तथा कथित विक्रय किया गया माल नियमानुसार मानकों की सभी शर्तो को पूरा करते हुए किया गया था, इसलिये निर्माता फर्म दोषमुक्ति की अधिकारिणी है। अतः प्रतिवादी अभियुक्तगण के खिलाफ मामलें को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.11.2022 को सायं 3.00 पी.एम. पर फर्म मालाराम वालाजी, तहसील रोड छावनी, शिवगंज, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से देवाराम (प्रतिवादी संख्या–1) उपस्थित मिले। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग [illegible] (श्री सारस ब्राण्ड) के अमानक होने का शक हो[illegible]द्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 क[illegible] की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी [illegible] में विक्रेता एवं खाद्य ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.116/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमं जारी हुए

कारोबारकर्ता देवाराम को उपस्थित गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। फर्म मालाराम वालाजी दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से घी (श्री सारस ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 1100/— (रुपये एक हजार एक सौ मात्र) विक्रेता देवाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1922, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.11.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा महेश परिहार, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 14.11.2020 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मालाराम वालाजी, तहसील रोड छावनी, शिवगंज, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता देवाराम से खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्य[illegible]वत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपु[illegible]ड) के नमूना संख्या S-1922 की प्राप्त [illegible]L.S./1971/Act/2022/1978 .

-----लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.116/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

दिनांक 22.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) का नमूना मूल कम्पनी पैक्ड अवस्था में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म/पैकर ही उत्तरदायी है। विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म SDP Industries Pvt.Ltd. ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी निर्माता फर्म SDP Industries Pvt.Ltd स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी निर्माता फर्म SDP Industries Pvt.Ltd., Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B, Behind Fire station, Riganwada, DAMAN-396210 पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी निर्माता फर्म SDP Industries Pvt.Ltd., Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B, Behind Fire station, Riganwada, DAMAN-396210 के नॉमिनी राजूभाई राठौड को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति [illegible] सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी निर्माता फर्म को प्रेषित की [illegible]ल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.1.2024 को [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.